C-1513/12

TEN RUPEES

COURT FEE

INDIA

FIVE RUPEES

23

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२००५ निगरानी R-322-II/2005

श्री ... द्वारा आज दि० 16/3/05 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

16 MAR 2005

16/3/05

१। नरोत्तम प्रसाद पुत्र प्रभूदयाल
२। हरीबाबू पुत्र प्रभूदयाल
दोनों निवासीगण ग्राम वावडीपुरा,
तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना,म०प्र०
-- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। ओमप्रकाश पुत्र श्री रामरतन
२। वृजमोहन पुत्र श्री रामरतन
३। पुन्नलाल पुत्र श्री रामरतन
४। जुगलकिशोर पुत्र श्री रामरतन
५। शान्तीबाई पत्नी श्री रामरतन
सभी निवासीगण ग्राम वावडीपुरा,
तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना,म०प्र०
-- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय,चम्बल संभाग,मुरैना दिनांक २७-०१-२२०५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ । प्रकरण क्रमांक ७३।२००३-२००४ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूपएवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि जब अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने अपील को अवधि-

----- २

प्रकरण क्रमांक 322-दो/2005 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
2-10-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 72/2002-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 39 अ 46/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 18-1-1985 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत ग्राम बाबड़ीपुरा की भूमि सर्वे नंबर 315 रकबा 13 वीघा 19 विसवा में से 6 वीघा भूमि पर आवेदकगण के पिता प्रभूदयाल को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सवलबढ़ के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 23/94-95 में पारित आदेश दिनांक 22-6-1996 से अपील समयवाह्रय पाकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 172/95-96 अपील में आदेश दिनॉक 5-3-98 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-6-96 निरस्त कर प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु लौटाया गया। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी होने पर प्र0क्र0 1111-चार/98 में आदेश दिनांक 10-10-01 से अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5-3-98 निरस्त कर प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई उपरांत निराकरण हेतु लौटाया गया।	
	अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर क्रमांक 73/2002-03 अपील पर दर्ज किया जाकर पक्षकारों की सुनवाई की गई एंव आदेश दिनांक 27-1-05 पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-6-96 को विधिसम्मत नहीं माना गया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई कर पुनः गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु वापिस किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।	
	3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये। आवेदकगण के अभिभाषक ने मान0व्यवहार	